माननीय विधायक श्री रविन्द्र कुमार द्वारा नियम –62 के तहत उठाए गए प्रश्न/नोटिस का उद्धरणः–

''भू संरक्षण विभाग पालमपुर द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–20 व 31–8–2020 तक विभिन्न मदों में आवंटित की गई धनराशि के बारे में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे।''

अध्यक्ष महोदय,

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश भू0 एंव जल संरक्षण कार्यो का कार्यान्वयन व्यक्तिगत एंव सामुदायिक स्तर पर करता है। कृषि विभाग 50 हैक्टेयर तक की विभ्भिन्न प्रकार की लधु सिंचाई योजनाओं जैसे बहाव सिंचाई उठाऊ सिंचाई टयूब वैल,सामुदायिक टैंक सिंचाई व भू0 क्षरण को रोकने हेतु स्परज इत्यादि योजनाओं का कार्यान्वयन सामुदायिक आधाार पर कर रहा है और इन योजनाओं के निर्माण पर शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये योजनाएं स्थानीय किसानों/ जनता के प्रतिनिधियों की मांगों के आधार पर तथा योजनाओं की तकनीकी व्यवहारिता के बाद विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। विभाग इन योजनाओं का कार्यान्वयन योजनाओं का चयन, सर्वेक्षण तथा निर्माण आदि का कार्य सम्बन्धित जल उपभोक्ताओं की सहभागिता द्वारा करवाता हैं जिसको सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जाता है। कृषक विकास संध योजना की कार्यान्वयन विभागीय तकनीकी मार्गदर्शनों के अनुसार करवाता है तथा योजना के पूर्ण होने पर इसको आगामी रख रखाव हेतु सम्बन्धित कृषक विकास संध को सौंप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त टैंक सिंचाई कुंओ बोरवैल इत्यादि पर विभाग कृषको को 50 प्रतिशत अनुदान तथा व्यक्तिगत सूक्ष्म सिंचाई इकाईयों को स्थापित करने के लिए विभाग 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाता है। व्यक्तिगत स्तर की सूक्ष्म सिचाई इकाईयों, कुओं टैंकों और बोरवैल का कार्यान्वयन विभाग निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित एंव राज्य स्तरीय योजनाओं के अन्तर्गत कर रहा है।

विभाग द्वारा भू0 संरक्षण उप मण्डल, पालमपुर को वर्ष 2018–2019, 2019–2020 व 2020–2021(31.08.2020 तक) विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटित तथा व्यय की गई धनराशि का मदवार व्यौरा निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	मद	वर्षवार ब्यौरा (रू0 लाखों में)					
		2018–2019		2019–2020		2020–2021 (31.08.2020 तक)	
		आवंटित राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि
1.	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से कुशल सिंचाई पद्वति	16.77	12.55	10.42	10.41	27.00	4.15
2.	जल उठाऊ सिंचाई योजना एंव बोरवैल के लिए अनुदान	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.91
3.	जल से कृषि को बल	80.00	80.00	95.50	95.50	70.00	34.36
4.	प्रवाह सिंचाई योजना	250.00	189.26	262.50	262.50	150.00	63.18
5.	सौर सिंचाई योजना	–		75.00	75.00	14.00	–
6.	पी0एम0 कुसुम योजना	–	–	–	–	20.00	–
7.	लघु एंव सीमान्त किसान योजना	23.00	20.00	30.27	30.27	40.00	27.62
8.	प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना	29.56	29.56	37.78	36.78	26.67	–
9.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	–	–	153.69	153.69	–	–
10.	प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन निधि	86.45	86.45	153.13	153.13	249.23	117.46

मदवार संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

1. सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजनाः–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पानी के उचित उपयोग से राज्य में कृषि समुदाय को कुशल एवं आश्वासित सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई जैसे स्प्रिंकलर/ड्रिप पद्वति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर 80 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है।

2. जल उठाऊ सिंचाई योजना एंव बोरवैल के लिए अनुदानः–

प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के लिए सतही जल स्त्रोत कृषि–जोतों से गहरे स्थानों में उपलब्ध है, का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत स्तर की लघु/मध्यम उठाऊ सिंचाई योजनाऐं बनाई जाती है तथा जहाँ सिंचाई के लिए सतही जल स्त्रोत उपलब्ध नहीं है एवं भूमिगत पानी सम्भावित हो, ऐसे स्थानों पर विभाग किसानों को कृषि सिंचाई की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत बोरवैल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो भी व्यक्ति अथवा किसान समूह, उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण एवं बोरवैल स्थापित करता है तो उन्हें 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है।

3. जल से कृषि को बल योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपयुक्त स्थलों पर चैकडैम एवं तालाबों का निर्माण किया जाता है जिनमें एकत्रित जल को किसान व्यक्तिगत लघु उठाऊ सिंचाई योजनाऐं या बहाव सिंचाई योजनाऐं (जैसा अपेक्षित हो) बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपयोग कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत् प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4. प्रवाह सिंचाई योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कूहलों के स्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाता है। योजना के अन्तर्गत सभी सामुदायिक कार्यों के लिए शत–प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।

5. सौर सिंचाई योजनाः–

यह योजना वर्ष 2018–19 में सरकार द्वारा मु0 200.00 करोड रुपये के लिय पांच वर्षो की अवधि हेतु अनुमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपयुक्त स्थलों पर सिंचाई के लिए जल उठाने हेतु सोलर पम्प लगाने का प्रावधान रखा गया है इस योजना के अन्तर्गत लधु एंव सीमांत किसानो को 85 प्रतिशत उपदान एंव मध्यम व बडे किसानो को 80 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत 1 एच0 पी0 से 10 एच0 पी0 तक के पम्प किसानों को आवश्यकता अनुसार स्थापित करने का प्रावधान है।

6. प्रधानमन्त्री कुसुम सिंचाई योजनाः–

सरकार ने किसानों को आश्वस्त सिंचाई प्रदान करने हेतु विशेषकर दूर–दराज के क्षेत्रों में जहां बिजली आपूर्ति की उपलब्धता कम होती है या ईधन आधारित जल उठाऊ पम्प का प्रयोग किया जाता है वहां जल उठाने के लिए प्रधानमन्त्री कुसुम सिंचाई नामक योजना आरम्भ की गई है ताकि फसलों के उत्थान व उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सौर पम्पों से खेती–सिंचाई के लिए जल उठाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु व्यक्तिगत् व सामुदायिक किसानों को 85 प्रतिशत एवं मध्यम व बड़े किसानों के लिए 80 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है।

7. लघु एवं सीमान्त किसान योजनाः–

इस योजना के अर्न्तगत प्रदेश के लघु व सीमान्त किसानों को सिंचाई टैंक निर्माण व भू0 संरक्षण कार्यों के लिए 100 प्रतिशत व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः–

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से खेत में पानी की पहुँच का सही उपयोग बढाने के लिए और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इस योजना में प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करके

ग्रमीण क्षेत्र में समृद्धि लाने का लक्ष्य हैं। इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, 'हर खेत कों पानी' के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः–

कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिये "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" लागू की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य राज्यों को कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना, कृषि कार्यक्रमों की योजना बनाने व लागू करने की प्रक्रिया में राज्यों को छूट देना, कृषि जलवायु, तकनीक व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जिले व राज्यों की कृषि योजनाओं को बनाकर यह भी सुनिश्चित करना कि ये योजनायें स्थानीय जरूरतों/ फसलों/ प्राथमिकताओं को देखकर बनाई गई हैं, कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों से किसानों की आय को बढ़ाना, इन क्षेत्रों के उत्पादन तथा उत्पादकता में भरपूर परिवर्तन आदि है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में लघु सिंचाई योजनायें, ई–किसान भवन व प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

10. प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन निधिः–

उपरोक्त योजना विभाग की स्थाई योजना नहीं है, अपितु प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा व बाढ़ से कृषि क्षेत्र को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु भारत सरकार से राज्य सरकारों को धन आवंटित किया जाता है तदानुसार ही धन की उपलब्धतानुसार ही प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की भूमि को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।